प्रेसनोट दिनांक 01-08-2019 जनपद मुरादाबाद।

1- लूट एवं चोरी की कई घटनाओं का खुलासा, लगभग 3 लाख रुपये के आभूषणों, विभिन्न घटनाओं में चोरी किये गये 08 मोबाइल, 10,000 रुपये नगद एवं नाजायज असलहा सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 01-08-2019 को थाना छजलैट पुलिस एवं इन्टेलीजेन्स विग-द्वितीय मुरादाबाद की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थान क्षेत्रान्तर्गत कांठ रोड राधास्वामी सत्संग भवन के पास से समय 6-10 बजे अभियुक्तगण 1-भूपेन्द्र उर्फ भूप सिह पुत्र मवासी निवासी ग्राम मघपुरी थाना कांठ, 2-फैजल पुत्र महमुदुल हसन निवासी मौहल्ला पृथवीगंज थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को 23 आभूषण पीली धातु(सोना), 40 आभूषण सफेद धातू (चांदी), विभिन्न घटनाओं में चोरी किये गये 08 मोबाईल, चोरी की गयी 05 साडियों, 10,000 रुपये नगद एवं लूट की घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त रामपाल पुत्र छेदा निवासी ग्राम मघपुरी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद मौके से फरार हो गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा थाना छजलैट क्षेत्रान्तर्गत लूट एवं चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 21/22-07-19 की रात्रि को ग्राम अलीपुरा खालसा में चोरी के दौरान जाग होने के कारण बरामद देशी तमंचे से फायर कर एक व्यक्ति को चोट पंहुचाते हुए 2700/- रुपये लूट की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना छजलैट में मु0अ0सं0 250/19 धारा 394 भादवि पंजीकृत है। इसी प्रकार दिनांक 19-06-19 की रात्रि में ग्राम दाढी महमूदपुर में एक मकान की दीवार काटकर जेवर व कपडे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 171/19 धारा 457/380 भादवि, दिनांक 17/18-07-19 की रात्रि में ग्राम अलीपुरा खालसा में एक मकान में घुसकर मकान के टंगी पेन्ट की जेब से 2000/- रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 248/19 धारा 380 भादवि, दिनांक 28-07-19 को ग्राम अलीपुरा में दो मोबाईल चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 262/19 धारा 380 भादवि एवं दिनांक 29/30-06-19 की रात्रि में ग्राम मुढाखेडी में एक मकान के अन्दर से तीन साडी व 45,000/- रुपये नगद व सोने चाँदी के पुराने आभूषण चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 202/19 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत हैं। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने साथी रामपाल पुत्र छेदा निवासी ग्राम मघपुरी थाना कांठ के साथ मिलकर उक्त घटनाओं को करना स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा दिन में गांवो में घूमकर खुले मकानों (बिना बाउन्ड्री व दरवाजे वाले) को चोरी कर लेने के लिये चिन्हित कर लिया जाता तथा रात्रि में घर के अन्दर घूसकर चोरी कर लेते थे तथा गाँव में जाग हो जाने पर तमंचे से फायर करके भाग जाते थे।

अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ भूप सिह के कब्जे से नाजाजय असलाह बरामद होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-264/19 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व विभिन्न घटनाओं में चोरी किये गये 08 मोबाइल बरामद होने के सम्बन्ध में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0-263/19 धारा 411/413/414 भादवि पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा फरार अभियुक्त रामपाल उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

2- दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वाराः-

दिनांक 31-07-2019 को वादिनी श्रीमती बानो पत्नी स्व0 महबूब निवासी जाहिदपुर सीकमपुर थाना भगतपुर ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 23 वर्ष से दहेज की मांग करने, मांग पूरी न होने पर

वादिनी की पुत्री को प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा में मु0अ0सं0-313/19 धारा 498ए/304बी/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम 08 व्यक्ति नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 01-08-2019 को उ0नि0 श्री सुरेश गिरि थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त 1-मौहम्मद आरिफ पुत्र जमील अहमद, 2-जमील अहमद पुत्र अब्दुल गनी निवासीगण ग्राम कमालपुरी खालसा थाना ठाकुरद्वारा को तिकोनिया बस अड्डा से समय 11-10 बजे गिरफ्तार किया। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

3- <u>महिला के साथ मारपीट करने व अश्लील हरकत करने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वाराः-</u>

दिनांक 29-07-2019 को वादिनी .... निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना ठाकुरद्वारा ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ मारपीट करने तथा अभियुक्त दिनेश द्वारा वादी के साथ अश्लील आचरण कर वादिनी की लज्जा भंग करने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा में तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा में मु0अ0सं0-310/19 धारा 323/354क भादवि बनाम 03 व्यक्ति नामजद पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 01-08-2019 को उ0नि0 श्री विनेश कुमार थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कमालपुरी खालसा थाना ठाकुरद्वारा को ग्राम कमालपुरी चौराहा से समय 12-50 बजे गिरफ्तार किया। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

4- <u>वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने गयी पुलिस टीम पर हमला कर कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करने में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना हजरत नगर गढीः-</u>

आज दिनांक 01-08-2019 को उ0नि0 श्री दीपक चन्द थाना हजरतनगर गढी ने अभियुक्तगण द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-59/19 धारा 376डी/363 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मेघसिंह पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना गढी को गिरफ्तार करने गयी पुलिस टीम पर हमला कर गाली-गलौच करते हुये गिरफ्तार किये गये अभियुक्त मेघसिंह उपरोक्त को भगा देने, कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न करने तथा अभियुक्त कमल सिंह पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम न्यामतपुर थाना हजरतनगर गढी को मौके से गिरफ्तार करने एवं 03 अभियुक्तों के मौके से फरार हो जाने के सम्बन्ध में थाना हजरतनगर गढी में मु0अ0सं0-81/19 धारा 353/224/225/186/504 भादवि बनाम 04 व्यक्ति नामजद पंजीकृत कराया। गिरफ्तार अभियुक्त कमल सिंह उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है तथा थाना पुलिस द्वारा शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

5- <u>जुआं खेलते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कोतवालीः-</u>

दिनांक 31-07-2019 को उ0नि0 श्री रामवीर सिंह राठी थाना कोतवाली ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1-संजय सिंह चौहान पुत्र रमेश सिंह निवासी दुर्गेश नगर डबल फाटक थाना कटघर, 2-प्रदीप रस्तोगी पुत्र कल्लूमल रस्तोगी शिव नगर जयन्तीपुर थाना मझोला को बुद्ध बाजार से समय 20-30 बजे जुआं खेलते हुये 52 पत्ते ताश व 460 रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया। उक्त सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं-94/19 धारा 13जी एक्ट पंजीकृत किया गया।